

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थफा. सं. 6/59/2026- डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 24 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी - एडी/ओआई/060/2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

विषय: "चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/59/2026- डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' अथवा 'पाटनरोधी नियमावली' के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. इस आवेदन में चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की मांग की गई थी। अतः, प्राधिकारी ने इस जांच में चीन जन. गण. को संबद्ध देश के रूप में माना है।

3. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित किए गए आयातों से महत्वपूर्ण क्षति पहुंच रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" है।

5. "एमोक्सिसिलिन" एक सेमी-सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जिसमें कई ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव सूक्ष्मजीवों के खिलाफ बैक्टीरिया को समाप्त करने की व्यापक क्षमता होती है। एमोक्सिसिलिन का उपयोग दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को कम करने के लिए किया जाता है। एमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से श्वसन मार्ग (ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनसाइटिस), कान (ओटिटिस मीडिया), गले (स्ट्रेप थोट), मूत्र मार्ग, त्वचा और दांतों

के बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अन्य दवाओं के साथ मिलाकर एच. पाइलोरी से जुड़े पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए भी किया जाता है और कभी-कभी इसे दांतों या सर्जरी से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं से पूर्व बचाव के रूप में भी दिया जाता है।

माप की इकाई

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (मी टन) है।

टैरिफ वर्गीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के तहत, विशेष रूप से उप-शीर्ष 29411030 के तहत वर्गीकृत किया गया है और वर्तमान में उत्पाद का आयात इसी एचएसएन कोड के तहत किया जाता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/ टैरिफ मद के तहत भी किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदक ने अपने आवेदन में किसी भी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया है। इस जांच में शामिल पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और जांच की शुरुआत होने की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति (यदि कोई हो) का प्रस्ताव दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने यह बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु की तुलना भौतिक और रासायनिक गुणों, बनाने की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद की विशिष्टताओं, कीमत, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर की जा सकती है। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि जिस उत्पाद की जांच हो रही है, उसके ग्राहक संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। अतः, इस जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. इस जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. प्राधिकारी ने दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) की अवधि को वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) (जिसे इसके बाद "पीओआई" के रूप में कहा गया है) के रूप में माना है। क्षति जांच की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल

2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

12. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा।”

13. यह आवेदन एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आवेदक ने यह अवगत कराया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध नहीं हैं।

14. आवेदक ने यह अवगत कराया है कि कुल भारतीय उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी 35% से अधिक है। इस आवेदन को सेंट्रिएंट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी समर्थन प्राप्त है। आवेदक और समर्थक को मिलाकर कुल भारतीय घरेलू उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा बनता है।

15. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य एक पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के नियम-7 के अनुसार तय किया जाना चाहिए। आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) का संदर्भ दिया है और यह कहा है कि चीन के उत्पादकों को यह सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) में उल्लेख किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए, सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
17. आवेदक ने यह अवगत कराया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। तथापि, आवेदक को किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत के संबंध में भरोसेमंद जानकारी नहीं मिल सकी। अतः सामान्य

मूल्य आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर तय किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ को भी शामिल किया गया है। जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए इसी को आधार माना गया है। चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

ख) निर्यात कीमत

18. आवेदक ने अपनी बाजार सूचना के आधार पर आयात की मात्रा और कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य का पता लगाने के लिए डीजीसीआई एंड एस के डेटा का उपयोग किया गया है। संबद्ध देश में समुद्री माल-भाड़े, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत और देश के भीतर माल-भाड़े के लिए ज़रूरी समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्ट्या* यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक पर है और संबद्ध देश से निर्यात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के मामले में यह काफी अधिक है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्ट्या* ऐसे साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

20. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से होने वाले संबद्ध आयातों की मात्रा में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात का घरेलू उद्योग के लाभ से जुड़े पैमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
21. उपर्युक्त से, प्राधिकारी को *प्रथम दृष्ट्या* ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं जिनसे संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, और कथित पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि होती है, जो नियमावली के नियम 5 के तहत पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, स्तर और प्रभाव का पता लगाया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे लागू करने पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

22. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य* के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसी क्षति व पाटित आयातों के बीच संबंध शामिल हैं, और अधिनियम की धारा 9क के

साथ पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का पता लगाने और पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त मात्रा की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, जो जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

23. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में बताए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और उससे संबद्ध सेतु केस आई डी नंबर – एडी/ओआई/060/2026 के तहत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का नैरेटिव हिस्सा संचि किए जा सकने वाले पीडीएफ/एमएस – वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सल फॉर्मेट में हों।
25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/ निर्यातक, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातक और प्रयोक्ता जो इस उत्पाद से जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग से बताया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर सभी ज़रूरी जानकारी दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में बताए गए तरीके और फॉर्म में दाखिल की जानी चाहिए।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से जुड़े मामले में, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई लागू व्यापार सूचना में बताए गए तरीके और फॉर्म में, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर जानकारी दे सकते हैं।
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय जानकारी देने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ प्रदान करना होगा।
28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे संबद्ध जांच में आगे की कार्यवाही से अद्यतन रहें और समय-समय पर प्रश्नावली फॉर्मेट, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक समय के निर्धारित समय, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि पत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में जारी होने वाले नोटिस के बारे में जानकारी रखें।

ट. समय सीमा

29. इस जांच से जुड़ी कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम और उससे संबद्ध केस आईडी – एडी/ओआई/060/2026 के तहत अपलोड की जानी चाहिए।

30. प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए अनुरोध के अगोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर अपने-अपने निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर को दाखिल करें।

32. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 30 में बताई गई समय सीमा के साथ-साथ चलेगा।

33. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन में संशोधन करते हैं, जिसका पहले प्रस्ताव नहीं किया गया था या जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिन का समय विस्तार किया जाएगा। यह 15 दिन का समय विस्तार पीयूसी और पीसीएन में संशोधन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिन का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है, जहां जांच की शुरुआत होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, 15 दिन के समय विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) से अधिक समय विस्तार के अनुरोध पर, सामान्य तौर पर आपवादिक परिस्थिति को छोड़कर, विचार नहीं किया जाएगा।

34. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल के माध्यम से उपर्युक्त मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत करना होगा। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

35. जहां मौजूदा जांच में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, तो उस पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के तहत और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचना के अनुसार, ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध अस्वीकार किए जा सकते हैं।

36. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (जिसमें परिशिष्ट/ अनुबंध शामिल हैं), जिसमें प्रभावली उत्तरभी शामिल हैं, करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

37. ऐसे अनुरोध पर हर पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रदान की गई कोई भी सूचना प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना मानी जाएगी, और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना की जांच करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

38. गोपनीय पाठ में वह समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके लिए सूचना के प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक समुचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय पाठ को बेहतर होगा कि सूचीबद्ध किया जाए या रिक्त स्थान रखा जाए (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर समुचित रूप से और पर्याप्त रूप से सारांश दिया जाना चाहिए जिस पर कि गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश इतना विस्तार में होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को ठीक तरीके से समझा जा सके। तथापि, विशिष्ट स्थिति में, गोपनीय सूचना प्रदान करने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी सूचना सारांश में नहीं दी जा सकती और प्राधिकारी को यह बताने के लिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, एक विवरण देना होगा जिसमें कि यह बताया गया हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

40. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज के अगोपनीय पाठ के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

41. प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत करने या सारांश रूप में इसे बताने की इजाजत देने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

42. बिना किसी तत्संबंधी सार्थक अगोपनीय पाठ या नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त कारण सहित विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई समुचित व्यापार सूचना के बिना किया गया कोई भी अनुरोध, गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके अपने लॉगिन के ज़रिए सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

44. यदि कोई भी हितबद्ध पक्षकार एक तर्कसंगत समय के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से इंकार करता है या अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और मौजूदा तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी